2

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर झाल.वाड

मिसल न0 23 / अपील 14(4) / 20 तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर (अपीलान्ट)

बनाम

देवीलाल पुत्र धूला जाति भील नि0 मेहन्दी तहसील असनावर (रेस्पो0)

अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।

उपस्थित:- पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक: 03.09.2020

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज0भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमों में निवेदन किया गया है कि ग्राम मेहन्दी की आराजी ख0 न096 रकबा 0.0759 भूमि का आंवटन आवंटी देवीलाल आ0 धूला को दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 17 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आंवटित आराजी आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 4(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने पा0पत्र की पुष्टी में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनाक 31.10.2019, नामान्तरकण संख्या 17 की प्रमाणित प्रति,जमाबन्दी सं0 2074-77 खसरा गिरदावरी सं0 2070-73, 2032-41, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्पो0 देवीलाल स्वंय उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटी देवीलाल आ0 धूला को ग्राम मेहन्दी की आराजी खसरा न0 96 रकबा 0. 0759 भूमि का आंवटन दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 17 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आंवटित आराजी आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किया है। आवंटन की शर्त 4(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी स्वंय या उनकी और से किसी के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवंम अभिभाषक उभय पक्ष पर गोर किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट हे कि आंवटी द्वारा आवंटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एंव उपयोग नही किया गया है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। मौका पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में भीमसागर बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण मौके पर पानी के नीचे डूबी हुयी है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गेर खातेदारी में ही दर्ज है व वर्तमान में आंवटित आराजी डूब में आने से काश्त नही किया जाना साबित है। अत: प्रार्थना पत्र तहसीलदार असनावर स्वीकार किया जाकर ग्राम मेहन्दी की आराजी ख0न0 96 रकबा 0.0759 भूमि का आंवटन जो दिनांक 08.12. 1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था उक्त आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़